भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **478**
दिनांक 26 जून , 2019 / 5 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

जेट एयरवेज का संकट

478. **श्री संजय सिंह:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विमान वाहक कंपनी जेट एयरवेज़ पर पायलटों, आपूर्तिकर्ताओं, तेल कंपनियों और पट्टादाताओं का 8000 करोड़ रुपये बकाया है;
(ख) क्या यह भी सच है कि जेट एयरवेज़ को आकस्मिक निधियों के रूप में 400 करोड़ रुपये देने से मना कर दिया गया था;
(ग) यदि हां, तो इस मनाही के क्या कारण हैं; और
(घ) जेट एयरवेज़ को संकट से बाहर निकालने के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ) : जेट एयरवेज़ (इंडिया) लिमिटेड ने पिछली कुछ तिमाहियों के दौरान पूर्ण हानि दर्ज की है, जिससे इसकी नकदी खत्म हो गयी और प्रचालन वहनीय बनाए रखने में आपदाग्रस्त हो गया । परिणामस्वरूप विमान के पट्टाकार, पायलट, पूर्तिकर्ता, तेल कंपनियां इत्यादि सहित सभी लेनदारों की और काफी देय राशि एकत्रित हो गई। प्रत्येक एयरलाइन स्वयं के बाज़ार के आकलन एवं देनदारियो के आधार पर अपनी वाणिज्यिक योजना तैयार करती है। वाणिज्यिक योजना के अनुसार वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल और कुशल प्रचालन सुनिश्चित करना एयरलाइन का उत्तरदायित्व है। मैसर्स जेट एयरवेज़ (इंडिया) लिमिटेड के लिए पैसे जुटाने में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि यह एयरलाइन का आंतरिक मामला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऋणशोधन क्षमता एवं दिवालियापन कोड, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत एक आवेदन दिया है, जिसे 20 जून 2019 को राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ताकि कथित कोड के अंतर्गत समाधान योजना तैयार की जा सके। अब एयरलाइन का पुनरुत्थान केवल आईबीसी के अंतर्गत संभव है।

*****